<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-30032024-253463 CG-DL-E-30032024-253463

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 88]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 30, 2024/चैत्र 10, 1946 NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 30, 2024/CHAITRA 10, 1946

No. 88]

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसुचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2024

मामला सं. एडी (एमटीआर)-01/2024

विषय: थाईलैंड के मूल की अथवा वहां से निर्यातित "80 माइक्रोन से कम एल्युमीनियम फॉयल" के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की मध्यवर्ती समीक्षा की शुरुआत।

1. फा. सं. 7/3/2024-डीजीटीआर.—मै. हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मै. श्याम सेल एंड पॉवर लिमिटेड, मै. श्री वेंकटेश्वरा इलैक्ट्रोकॉस्ट प्रा. लिमि., मै. रविराज फ़ॉयल्स लिमि., मै. जीएलएस फॉयल्स प्रोडक्ट्स प्रा. लिमि. और मै. एल एस के बी एल्युमीनियम फॉयल्स प्रा. लिमि. (जिन्हें यहां इसके बाद "आवेदक" भी कहा गया है) ने थाईलैंड (जिसे यहां "संबद्ध" देश भी कहा गया है) के मूल के या वहां से निर्यातित "80 माइक्रोन से कम एल्युमीनियम फॉयल" (जिसे यहां "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" अथवा "संबद्ध वस्तु" भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में एक मध्यवर्ती समीक्षा जांच की शुरुआत के लिए समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे यहां "अधिनियम" भी कहा गया है) और सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण और क्षति के निर्धारण हेतु) नियमावली, 1995 के अनुसरण में, भारत में समान वस्तु के घरेलू उद्योग के रूप में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें यहां "प्राधिकारी" भी कहा गया है, के समक्ष एक आवेदन दायर किया है।

2343 GI/2024 (1)

2. आवदेकों ने निवेदन किया है कि थाईलैंड से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों के विरुद्ध लागू किए गए पाटनरोधी शुल्क का पुनः मुल्यांकन किए जाने और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

क. <u>मामले की पृष्ठभूमि</u>

3. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम फाइल संख्या 6/21/2020-डीजीटीआर, दिनांक 18 जून, 2021 के अनुसार थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया और चीन से "80 माइक्रोन से कम एल्युमीनियम फॉयल" के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की थी जिसे अधिसूचना सं. 51/2021- सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 16 सितंबर, 2021 के अनुसार लागू किया गया था। आवेदकों ने थाईलैंड से निर्यातकों/ उत्पादकों के संबंध में अधिसूचना सं. 51/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 16 सितंबर, 2021 के अनुसार लागू किए गए पाटनरोधी शुल्कों में वृद्धि करने के लिए अनुरोध किया है।

ख. विचाराधीन उत्पाद

4. वर्तमान जांच के एक मध्यवर्ती समीक्षा होने के कारण विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही है जैसा कि पिछली जांच में था। विचाराधीन उत्पाद पिछली जांच में निम्नानुसार है:

"18 .एल्युमीनियम फॉयल चाहे वह प्रिंटिड हो अथवा नहीं अथवा पेपर, पेपर बोर्ड, प्लास्टिक अथवा 80 माइक्रोन अथवा उससे कम मोटाई के समान पैकिंग सामग्री से समर्थित हो अथवा नहीं (अनुमेय सहनशीलता के साथ)" है, इनमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:

- i. चीन के मूल के 5.5 माइक्रोन से 80 माइक्रोन की रेंज वाली मोटाई के एल्युमीनियम फॉयल
- ii. अलू-अलू लेमिनेट
- iii. अल्ट्रा लाइट गाँज कन्वर्टिड
- iv. एल्युमीनियम फॉयल कम्पोजिट
- v. 500मि.मि. से कम की चौड़ाई वाले कैपेसीटर्स के लिए एल्युमीनियम फॉयल
- vi. उत्कीर्ण अथवा बनाए गए एल्युमीनियम फॉयल
- vii. एल्युमीनियम कम्पोजिट पैनल
- viii. अनुकूल गैर-क्लाड एल्युमीनियम फॉयल सहित क्लैड
- ix. बियर की बोतल के लिए एल्युमीनियम फॉयल
- x. एल्युमीनियम मैंगनीज- सिलिकॉन आधारित और/ अथवा क्लैड एल्युमीनियम
- xi. मैंगनीज-सिलिकॉन आधारित मिश्र धातु, चाहे वह क्लैड हो अथवा नहीं
- xii. एधेसिव टेप
- xiii. कलर कोटिड एल्युमीनियम फॉय
- 5. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के उपशीर्ष 7607 के तहत वर्गीकृत है। संबद्ध वस्तुओं के आयात निम्नलिखित कोड 76071190, 76072090, 76072010, 76071110, 76071999, 76071991, 76071995, 76071910, 76071994, 76071993 और 76071992 के तहत भारत में प्रवेश कर रहे हैं। सीमा शुल्क वर्गीकरण सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।
- 6. प्राधिकारी ने पिछली आयोजित जांच में एक पीसीएन का प्रयोग किया था। आवेदकों ने दायर आवेदन में समान पीसीएन का अनुसरण किया है। तथापि, प्रस्तावित पीसीएन की उपयुक्तता पर हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं:

क्र. सं.	फॉयल का प्रकार	माइक्रोन रेंज	बेयर /परिवर्तित
1	अलू-अलू स्टॉक	45-60	बेयर फॉयल
2	हाउस फॉयल	9-18	बेयर फॉयल
3	लाइट गॉज (एलजी)	7-18	बेयर फॉयल
4	मीडियम गॉज)एमजी)	20-60	बेयर फॉयल
5	सेमी रिजिड कंटेनर (एसआरसी)	33-80	बेयर फॉयल
6	अल्ट्रा-लाइट गॉज बेयर	5.5- >7	बेयर फॉयल
7	अल्ट्रा-लाइट गॉज बेयर	5. 5से कम	बेयर फॉयल
8	सिगरेट फॉयल	7माइक्रोन से कम	बेयर फॉयल
9	एसआरसी परिवर्तित	33-80	परिवर्तित
10	मीडियम गॉज)एमजी) परिवर्तित	20-60	परिवर्तित
11	होम फॉयल परिवर्तित	9-18	परिवर्तित
12	लाइट गॉज (एलजी) परिवर्तित	7-18	परिवर्तित

7. वर्तमान जांच से संबंधित पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष दायर आवेदन के अगोपनीय पाठ के परिचालन के 15 दिनों के भीतर पीयूसी और प्रस्तावित पीसीएन, यदि कोई हो, पर अपनी टिप्पणियां ,यदि कोई हों, उपलब्ध करा सकते हैं।

ग. समान वस्तु

8. वेदकों ने कहा है कि आवेदको द्वारा उत्पादित वस्तु और थाईलैंड से निर्यातित वस्तुओं में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं है। आवेदकों द्वारा उतपादित वस्तु और थाईलैंड से आयातित वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और प्रयोगों, उत्पाद विशिष्टताओं, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और संबद्ध वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ एक-दूसरे के तुलनीय हैं। संबद्ध वस्तुओं और आवेदकों द्वारा विनिर्मित वस्तु तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। आवेदकों ने दावा किया है कि पीयूसी के प्रयोक्ता संबद्ध वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं। आवेदकों ने दावा किया है कि पीयूसी के प्रयोक्ता विनिर्मित वस्तुओं का एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं। अतः, वर्तमान जांच के प्रयोजन हेतु, आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को थाईलैंड से आयात की जा रही वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

घ. घरेलू उद्योग एवं स्थिति

- 9. आवेदन मै. हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मै. श्याम सेल एंड पॉवर लिमिटेड, मै. श्री वेंकटेश्वरा इलैक्ट्रोकॉस्ट प्रा. लिमि., मै. रविराज फ़ॉयल्स लिमि., मै. जीएलएस फॉयल्स प्रोडक्ट्स प्रा. लिमि. और मै. एल एस के बी एल्युमीनियम फॉयल्स प्रा. लिमि., की ओर से भारत में समान वस्तु के घरेलू उत्पादकों के रूप में दायर किया गया है। आवेदन का निम्नलिखित उत्पादकों अर्थात ईएसएस- डीईई एल्युमीनियम लिमि., स्पर्श इंडस्ट्रीज प्रा. लिमि., एसआरएफ अल्टेक लिमि. और टीफॉयल पैकेजिंग प्रा. लिमि. द्वारा समर्थन किया गया है।
- 10. स्पर्श इंडस्ट्रीज प्रा. लिमि. संबद्ध वस्तुओं का एक नया उत्पादक है, ईएसएस डीईई एल्युमीनियम ,एसआरएफ आल्टेक लिमि. और ट्रीफॉयल पैकेजिंग प्रा. लिमि. नई उत्पादन क्षमताओं को स्थापित कर रहे हैं और अभी उत्पादन आरंभ किया जाना है।
- 11. एलएसकेबी एल्युमीनियम फॉयल प्रा. लिमि., हिंदालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रविराज फॉयल्स लिमि., श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमि. और श्री वेंकटेश्वरा इलैक्ट्रो कास्ट प्रा. लिमि. ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है। हालांकि, जीएलएस फॉयल्स प्रोडक्ट प्रा. लिमि. ने चीन से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है। आवेदक संबद्ध वस्तुओं के किसी आयातक या निर्यातक से संबंधित नहीं है।
- 12. घरेलू उत्पादक कुल घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख समानुपात स्थापित करता है और इसलिए, पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग स्थापित होता है।

ङ. संबद्ध देश

13. वर्तमान मध्यवर्ती समीक्षा का दायरा थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं तक सीमित है।

च. जांच की अवधि (पीओआई)

14. आवेदकों ने जांच की अवधि (जिसे यहां "पीओआई" भी कहा गया है) के रूप में अक्तूबर, 2022- सितंबर, 2023 (12 महीने) को प्रस्तावित किया है। क्षति सूचना पीओआई और तीन पूर्ववर्ती वर्षों अर्थात अप्रैल, 2019- मार्च,

2020, अप्रैल 2020- मार्च, 2021, अप्रैल 2021- सितंबर, 2022 (वार्षिकीकृत) और पीओआई के लिए उपलब्ध कराई गई है।

छ. समीक्षा का आधार

- 15. आवेदकों ने दावा किया है कि निम्नलिखित कारणों से थाईलैंड के निर्यातकों/ उत्पादकों के लिए पाटन मार्जिन और क्षिति मार्जिन के पुनः मूल्यांकन की आवश्यकता है:
 - क. पिछली जांच और वर्तमान अवधि के बीच निर्यातकों द्वारा निर्यातित उत्पाद प्रोफाइल में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गया है।
 - ख. यह कि कच्चे माल के कारण लागतों में वृद्धि हुई है जो कि निर्यात कीमत में वृद्धि में अनुपातिक रूप से परिलक्षित नहीं होता है।
 - ग. सामान्य मूल्य में परिवर्तन तथा साथ ही निर्यात कीमत में आनुपातिक परिवर्तन के बिना पाटन मार्जिन में वृद्धि हुई है।
 - घ. आवेदक ने यह भी अनुरोध किया कि एनआईपी और पहुंच मूल्य में परिवर्तन के कारण क्षति मार्जिन में वृद्धि हुई है।
- 16. इसलिए, आवेदकों ने दावा किया कि लागू किए गए पाटन रोधी शुल्कों में वृद्धि किए जाने की जरूरत है।

ज. <u>जांच शुरुआत</u>

17. भारत में समान वस्तु के घरेलू उत्पादको द्वारा विधिवत रूप से सांक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर और स्वयं संतुष्ट होने पर, थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर पहले लागू किए गए पाटनरोधी शुल्क की मध्यवर्ती समीक्षा के लिए प्रमाणित करने वाले प्रथम दृष्ट्या साक्ष्यों के आधार पर और नियमावली के नियम 23 (1क) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसरण में प्राधिकारी, एतदद्वारा, थाईलैंड से संबद्ध वस्तुओं पर पहले लागू किए गए पाटन रोधी शुल्क की मात्रा को पुनः निर्धारित करने की आवश्यकता की जांच करने के लिए एक मध्यवर्ती समीक्षा की शुरुआत करते हैं।

झ. प्रक्रिया

- 18. समीक्षा निर्धारित पाटन मार्जिन और क्षित मार्जिन तक सीमित होगी और शुल्कों की मात्रा अंतिम जांच परिणाम एफ संख्या 6/21/2020- डीजीटीआर दिनांक 18 जून, 2021 और अधिसूचना सं. 51/2021- सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 16 सितंबर, 2021 के अनुसार लागू की गई है।
- 19. ऊपर दिए गए नियमों के नियम 6, 7, 8,9 , 10, 11, 16, 17, 18, 19और 20 के उपबंध, इस समीक्षा में यथोचित परिवर्तन सहित लागू होंगे।

ञ. सुचना प्रस्तुत करना

- 20. विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in पर adv11-dgtr@gov.in को एक प्रति सहित ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।
- 21. घरेलू उद्योग, संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जिरए संबद्ध देश की सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को इस अधिसूचना के पैरा 23 में उल्लिखित समय सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना देने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरूआत अधिसूचना, एडी नियमावली, 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथाविहित ढंग और तरीके से प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- 22. कोई अन्य इच्छुक पक्ष भी इस आरंभ अधिसूचना, एडी नियम, 1995 और प्राधिकरण द्वारा जारी लागू व्यापार नोटिस द्वारा निर्धारित प्रारूप और तरीके से वर्तमान जांच से संबंधित प्रस्तुतीकरण इस आरंभ अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर कर सकता है।
- 23. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर इस जांच शुरूआत अधिसूचना, एडी नियमावली, 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथाविहित ढंग और तरीके से वर्तमान मध्याविध जांच से संगत अनुरोध कर सकता है।

- 24. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
- 25. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना से अवगत होने के लिए वे विनिर्दिष्ट प्राधिकारी की अधिकारिक वैबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) को नियमित रूप से देखते रहें।

ट. समय सीमा

- 26. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को एडी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सूचना भेजे जाने की तारीख से या निर्यातक देश के उचित राजनियक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर ई-मेल पतों jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in पर adv11-dgtr@gov.in को एक प्रति सहित ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी एडी नियमावली, 1995 नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
- 27. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान जाच में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर और घरेलू उद्योग के आवेदन संबंधी अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।
- 28. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोधों को दायर करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करता है तो उसे एडी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के संदर्भ में ऐसे विस्तार के लिए पर्याप्त कारण प्रदर्शित करना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर आना चाहिए।

ठ. <u>गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना</u>

- 29. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को एडी नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
- 30. ऐसे अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमित देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
- 31. हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत सूचना के अगोपनीय अंश को, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना संभव न हो)और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है और यह सूचना उचित और पर्याप्त रूप से सारांश रूप में होनी चाहिए।
- 32. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि और एडी नियमाली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
- 33. अन्य हितबद्ध पक्षकार इस दस्तावेज के अगोपनीय अंश की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर दावा की गई गोपनीयता संबंधी अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।
- 34. प्रस्तुत की गई जानकारी की प्रकृति की जांच करने पर प्राधिकरण गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि प्राधिकरण संतुष्ट है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध की आवश्यकता नहीं है या यदि सूचना का आपूर्तिकर्ता या तो जानकारी को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी जानकारी की उपेक्षा कर सकता है।
- 35. प्राधिकरण, संतुष्ट होने और प्रदान की गई जानकारी की गोपनीयता की आवश्यकता को स्वीकार करने पर, ऐसी जानकारी प्रदान करने वाली पार्टी के विशिष्ट प्राधिकरण के बिना किसी भी पार्टी को इसका खुलासा नहीं करेगा।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

36. पंजीकृत इच्छुक पार्टियों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और साथ ही उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अन्य सभी इच्छुक पार्टियों को अपने प्रस्तुतीकरण/प्रतिक्रिया/जानकारी का गैर-गोपनीय संस्करण ईमेल करें। प्रस्तुतियाँ/प्रतिक्रिया/सूचना के गैर-गोपनीय संस्करण को प्रसारित करने में विफलता के कारण इच्छुक पैरी को असहयोगी माना जा सकता है।

ढ. असहयोग

37. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2024

Case No. AD (MTR)-01/2024

Subject: Initiation of a Mid-Term Review of anti-dumping duty imposed on the imports of "Aluminium foil below 80 microns" originating in or exported from Thailand.

- 1. F. No. 7/3/2024-DGTR.—M/s Hindalco Industries Ltd., M/s Shyam Sel & Power Ltd., M/s Shree Venkateshwara Electrocast Pvt. Ltd., M/s Raviraj Foils Ltd., M/s GLS Foils Product Pvt. Ltd., and M/s LSKB Aluminium Foils Pvt. Ltd. (hereinafter also referred to as the "applicants") have filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority") as domestic industry of the like article in India, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Rules") for initiation of a mid-term review investigation concerning imports of "Aluminium foil below 80 micron" (hereinafter also referred as the "product under consideration" or the "PUC" or the "subject goods"), originating in or exported from Thailand (hereinafter also referred to as the "subject country").
 - 2. The applicants have submitted that there is a need to re-evaluate and enhance the anti-dumping duty levied against imports of the subject goods exported from Thailand.

A. BACKGROUND OF THE CASE

3. The Designated Authority recommended anti-dumping duty on imports of "aluminium foil below 80 microns" from Thailand, Malaysia, Indonesia and China vide final findings file no. 6/21/2020-DGTR, dated the 18th June, 2021, which was levied vide notification no. 51/2021-Customs (ADD) dated 16th September, 2021. The applicants have requested for enhancement of the anti-dumping duties levied vide notification no. 51/2021- Customs (ADD) dated 16th September, 2021 in respect of the exporters/producers from Thailand.

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

- 4. The present investigation being a mid-term review, the scope of the product under consideration is the same as that in the previous investigation. The product under consideration is in the previous investigation as under:
 - "18. Aluminium Foil whether or not printed or backed with paper, paper board, plastics or similar packing materials of a thickness of 80 micron and below (with permissible tolerances)" excluding the following:
 - i. Aluminium foil of thickness ranging from 5.5 micron to 80 micron originating in China.
 - ii. Alu-Alu Laminate
 - iii. Ultra-Light Gauge Converted

- iv. Aluminium Foil Composite
- v. Aluminium foil for capacitors width below 500 mm
- vi. Etched or formed Aluminium Foils
- vii. Aluminium composite panel
- viii. Clad with compatible non clad Aluminium Foil
 - ix. Aluminium Foil for beer bottle
 - x. Aluminium- Manganese- Silicon based and/or clad Aluminium-
- xi. Manganese-Silicon based alloys, whether clad or unclad
- xii. Adhesive tapes
- xiii. Colour coated aluminium foil
- 5. The product under consideration is classified under subheading 7607 of the Customs Tariff Act. Imports of the subject goods are entering into India under the following codes 76071190, 76072090, 76072010, 76071110, 76071999, 76071991, 76071995, 76071910, 76071994, 76071993 and 76071992. The customs classification is indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.
- 6. The Authority had used PCNs in the previously conducted investigation. The applicants have followed the same PCNs in the application filed. However, comments are invited from the interested parties on appropriateness of the PCNs proposed:

Sl.No.	Type of Foil	Micron Range	Bare / Converted
1	Alu Alu Stock	45-60	Bare Foil
2	House Foil	9- 18	Bare Foil
3	Light Gauge (LG)	7 - 18	Bare Foil
4	Medium Gauge (MG)	20-60	Bare Foil
5	Semi Rigid Container (SRC)	33 - 80	Bare Foil
6	Ultra-Light Gauge Bare	5.5 - <7	Bare Foil
7	Ultra-Light Gauge Bare	Below 5.5	Bare Foil
8	Cigarette Foil	Below 7 microns	Bare Foil
9	SRC Converted	33 - 80	Converted
10	Medium Gauge (MG) Converted	20-60	Converted
11	Home foil converted	9-18	Converted
12	Light Gauge (LG) Converted	7 - 18	Converted

7. The parties to the present investigation may provide their comments on the PUC and propose PCNs, if any, within 15 days of circulation of the non-confidential version of the application filed before the Authority.

C. LIKE ARTICLE

8. The applicants have stated that there are no significant differences in the article produced by the applicants and those exported from Thailand. The article produced by the applicants and that imported from Thailand are comparable in terms of physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the subject goods. The subject goods and the article manufactured by the applicants are technically and commercially substitutable. The applicants have claimed that consumers of the PUC are using the subject goods and the article manufactured by the applicants interchangeably. Thus, for the purposes of initiation of the present investigation, the subject goods produced by the applicants are being treated as like article to the product being imported from Thailand.

D. DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

- 9. The application has been filed by M/s Hindalco Industries Ltd., M/s Shyam Sel and Power Ltd., M/s Shree Venkateshwara Electrocast Pvt. Ltd., M/s Raviraj Foils Ltd., M/s GLS Foils Product Pvt. Ltd., and M/s LSKB Aluminium Foils Pvt. Ltd., as domestic producers of the like article in India. The application has been supported by the following producers i.e. ESS DEE Aluminium Ltd., Sparsh Industries Pvt. Ltd, SRF Altech Ltd., and Trefoil Packaging Pvt Ltd.
- 10. Sparsh Industries Pvt. Ltd. is a new producer of the subject goods, ESS DEE Aluminium Ltd., SRF Altech Ltd., and Trefoil Packaging Pvt Ltd., are establishing new production capacities and are yet to commence production.
- 11. LSKB Aluminium Foils Pvt. Ltd., Hindalco Industries Ltd., Raviraj Foils Ltd., Shyam Metalics and Energy Ltd., and Shree Venkateshwara Electrocast Pvt. Ltd. have not imported the subject goods from the subject country. However, GLS Foils Product Pvt. Ltd., has imported the subject goods from China. The applicants are also not related to any the importer or the exporter of the subject goods.
- 12. The domestic producers constitute a major proportion of the total domestic production, and therefore, constitute domestic industry under Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules.

E. SUBJECT COUNTRY

13. The scope of the present mid-term review is confined to the subject goods originating in or exported from Thailand.

F. PERIOD OF INVESTIGATION (POI)

14. The applicants have proposed October 2022-September 2023 (12 months) as the period of investigation (hereinafter also referred to as 'POI'). The injury information has been provided for the POI and three preceding years, i.e., April 2019-March 2020, April 2020-March 2021, April 2021-September 2022 (Annualised), and the POI.

G. GROUNDS FOR REVIEW

- 15. The applicants have claimed that there is a need for re-evaluation of dumping margin and injury margin for exporters/producers from Thailand, due to the following:
 - a. There is a significant shift in the product profile exported by the exporters between the previous investigation and the present period.
 - b. That there is an increase in costs on account of raw materials which is not proportionately reflected in the increase in the export price.
 - c. There is an increase in dumping margin due to change in normal value, as well as without proportionate change in the export price.
 - d. The applicant also submitted that there is an increase in injury margin due to change in NIP, and landed value.
- 16. The applicants have therefore, claimed that there is a need for enhancement of anti-dumping duties levied.

H. INITIATION OF THE INVESTIGATION

17. On the basis of the duly substantiated application by the domestic producers of like article in India, and having satisfied itself, on the basis of *prima facie* evidence substantiating the need for a mid-term review of anti-dumping duty earlier imposed on the subject goods originating in or exported from Thailand, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 23(1A) of the Rules, the Authority, hereby, initiates a mid-term review to examine the need for redetermining the quantum of the anti-dumping duty earlier extended on the subject goods from Thailand.

I. PROCEDURE

- 18. The review would be limited to the dumping margin and injury margin determined and quantum of duties levied vide final findings file no. 6/21/2020-DGTR dated 18th June, 2021 and notification no. 51/2021 Customs (ADD) dated 16th September, 2021.
- 19. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

J. SUBMISSION OF INFORMATION

- 20. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses <u>jd12-dgtr@gov.in</u> and <u>ad12-dgtr@gov.in</u> with a copy to <u>adv11-dgtr@gov.in</u>. It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.
- 21. The known producers/exporters in the subject country, the government of the subject country through its embassy in India, the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in para 23 of this notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the AD Rules, 1995 and the applicable trade notices issued by the Authority.
- 22. Any other interested party may also make submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the AD Rules, 1995 and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.
- 23. Any other interested party may also make submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the AD Rules, 1995 and the applicable trade notices issued by the Authority within time limit mentioned in this initiation notification.
- 24. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a nonconfidential version of the same available to the other interested parties.
- 25. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority https://www.dgtr.gov.in/ for any updated information with respect to this investigation.

K. TIME LIMIT

- 26. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email jd12-dgtr@gov.in and ad212-dgtr@gov.in within 30 days from the date on which the non-confidential version of the application filed by the domestic industry would be circulated by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the ADD Rules. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the Rules. The time limits specified herein shall be for filing questionnaire responses and any other information that an interested party wishes to provide with regard to present investigation. The Authority may reject any submissions that are filed after the prescribed time limits.
- 27. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification.
- 28. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6 (4) of the AD Rules, 1995 and such request must come within the time stipulated in this notification.

L. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS

- 29. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, it is required to simultaneously submit a nonconfidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the AD Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard.
- 30. Such submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission which has been made to the Authority without such markings shall be treated as "non-confidential" information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allows other interested parties to inspect such submissions.
- 31. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should essentially be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
- 32. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the AD Rules, 1995 and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

- 33. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by any interested party within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents filed before the Authority.
- 34. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
- 35. The Authority, on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

M. INSPECTION OF PUBLIC FILE

36. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions/response/information to all other interested parties. Failure to circulate non-confidential version of submissions/response/information might lead to consideration of an interested parry as non-cooperative.

N. NON-COOPERATION

37. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification or subsequently time period provided through separate communication, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority